संख्या-20-2025-डीएफए-1309383 -002-38-7002-002-1-2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 04-12-2025

विषयः- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में SNA SPARSH प्रणाली पर सामग्री मद में प्रथम भाग की द्वितीय किश्त केन्द्रांश एवं उसके सापेक्ष राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2774/मनरेगा/पत्रासं0-281/लेखा/आवंटन/2025-26, दिनांक 14-11-2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005 एवं उसके अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देशिका में निहित व्यवस्थानुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या- जे- 14037/03/2025- आरई-I(391315) (एसआई.नं0-44), दिनांकः 14-11-2025 द्वारा सामग्री मद में द्वितीय भाग की प्रथम किश्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 1077,76,04,000/-(रूपये दस अरब सत्ततर करोड़ छियत्तर लाख चार हजार मात्र) के संगत 1/3 राज्यांश की धनराशि रू0 3,59,25,34,666/-(रूपये तीन अरब उनसठ करोड़ पच्चीस लाख चौंतीस हजार छः सौ छाछठ मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 14,37,01,38,666/-(रूपये चौंदह अरब सैंतीस करोड़ एक लाख अड़तीस हजार छः सौ छाछठ मात्र) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए

http://shasanadesh.up.gov.in

आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

1. आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।
2. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास यह सुनिश्चित करेंगें कि प्रश्नगत कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली गयी है तथा निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि निर्विवाद रुप से उपलब्ध है। तदोपरांत ही अनुमोदित लागत के सापेक्ष ही निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।
5. योजनांतर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापत्ति प्राप्त कर लिया जायेगा।
6. आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और नही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
8. स्वीकृत धनराशि में निर्माण कार्य सम्मिलित होने पर, उक्त पर व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा तथा धनराशि आवश्यकतानुसार चरणों में उपलब्ध करायी जायेगी।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्ही मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने/गाइडलाइन्स में निहित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास का होगा।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित गाइड लाइन/दिशा-निर्देशों एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।
12. धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. आयुक्त, ग्राम्य विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं मानिटरिंग हेतु अपेक्षित अन्य शर्तों/उपबन्धों का समावेश स्वस्तर से कर लेंगे।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपयोग/व्यय में भारत सरकार के पत्र दिनांक 14-11-2025 में अंकित निर्देशों/शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
15. एस0एन0ए0 स्पर्श प्रणाली पर ऑनबोर्ड की गयी केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं से संबंधित वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने सम्बन्धी भारत सरकार के पत्र दिनांक 13 जुलाई 2023 एवं तत्क्रम में वित्त

http://shasanadesh.up.gov.in

(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2025, 30 जनवरी, 2025, 01 जुलाई, 2025 तथा 26 सितम्बर, 2025 को निर्गत किये गये सुसंगत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16. स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 व अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
17. वित्तीय नियमों के अनुपालन हेतु अपर आयुक्त(वित्त), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।
18. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।
19. वित्तीय नियमों के अनुपालन हेतु अपर आयुक्त(वित्त), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 14,37,01,38,666/-(रूपये चौंदह अरब सैंतीस करोड़ एक लाख अड़तीस हजार छः सौ छाछठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 013 लेखा शीर्षक 4515001020201 महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (के.75/रा.25-के.+रा.) मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- यू0ओ0-ई0-2-92-X-2025-26, दिनांक 24 नवम्बर, 2025 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
मनोज कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-20-2025-डीएफए-1309383-002-38-7002-002-1-2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्री संजय कुमार, निदेशक, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
3. महालेखाकार(लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. अपर आयुक्त (मनरेगा/वित्त), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
8. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय, उ0प्र0, लखनऊ।
9. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
10. स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन-1/2
11. ग्राम्य विकास अनुभाग-8
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in